न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी- अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
808/2024

दायर दिनांक
07.08.2024

निर्णय दिनांक
27.10.2025

उनवान

1.श्रीमती डालीबाई पत्नि श्रीकिशन बलाई निवासी मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

-- प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षी

उपस्थितः- 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्रवणकुमार सेन
2. विपक्षी की और से पैराकार सरकार।

::प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् राजस्व रेकार्ड में नाम संशोधित कराये जाने बावत् :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रिकार्ड मे नाम संशोधित कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 237,238,239/1 किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.2266 हेक्टेयर भूमि है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के पति श्रीकिशन पिता पेमा बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड थी श्रीकिशन की मृत्यु के पश्चात भूमि के विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीया एवं रामेश्वर पिता श्रीकिशन,लादी पुत्री श्रीकिशन के नाम दर्ज हुआ श्रीकिशन की विरासत का जो नामान्तरण दर्ज हुआ जो सही है परन्तु उक्त नामान्तरण मे प्रार्थीया का नाम डाली के बजाय काली अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक व दस्तावेज के अनुसार सही नाम डाली है जिसे शुद्ध कराया जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 237,238,239/1 किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.2266 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया का नाम काली पत्नि श्रीकिशन बलाई के बजाय डाली पत्नि श्रीकिशन बलाई संशोधित दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुनवायी की गयी प्रकरण मे तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/3042 दिनांक 01.09.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. 237,238,239/1 किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.2266 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया का नाम काली पत्नि श्रीकिशन बलाई के बजाय डाली पत्नि श्रीकिशन बलाई संशोधित दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया की शामलाती खातेदांरी भूमि आराजी नं. 237,238,239/1 किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.2266 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया का नाम काली पत्नि श्रीकिशन बलाई के बजाय डाली पत्नि श्रीकिशन बलाई संशोधित दर्ज कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

[redacted] अधिकारी
[redacted]

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस व तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन / परीक्षण किया दस्तावेजों अनुसार प्रार्थीया का नाम डाली पत्नि श्रीकिशन बलाई है परन्तु तत्समय नामान्तरण दर्ज के समय प्रार्थीया का नाम काली पत्नि श्रीकिशन बलाई दर्ज कर दिया गया। उपरोक्तानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

-:आदेश :-

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर ग्राम मंडपिया पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीया की शामलाती खातेदारी भूमि आराजी नं. आराजी नं. 237,238,239/1 किता 3 कुल क्षेत्रफल 1.2266 हेक्टेयर भूमि मे प्रार्थीया का नाम काली पत्नि श्रीकिशन बलाई के बजाय काली उर्फ डाली पत्नि श्रीकिशन बलाई शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 27-10-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा